



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

94
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavarana Bhavan"
लिंक रोड नं०-3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म०प्र०)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB 038/2010-BHO/ 880

दि०-२२-०५-२०१२,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: सीधी एवं सिंगरौली जिले में 132 के०व्ही० विद्युत लाईन सीधी से देवसर तक निर्माणार्थ 4.185 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड सतना को उपयोग पर देने बाबत ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-एमपीबी 038/2010-बीएचओ/911 दिनांक 20/05/2010
2. अपर प्रधान मु०व०सं०(भू-प्रबंध), म०प्र० का पत्रांक एफ-4/11/28/2010/10-11/ विद्युत/3268 दिनांक 14/11/11 एवं 1179 दिनांक 31/3/2012
3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA का पत्र क्रमांक 1-20/2010-केम्पा दिनांक 16/05/2012 महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4/11/28/2010/10-11/विद्युत/732 दिनांक 26/03/2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा, केन्द्र सरकार की ओर से 4.185 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड सतना को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है-

- वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 8.370 हे० अकमित वनभूमि, आर०एफ०-961, वनपरिक्षेत्र-बहरी, वनमण्डल-सीधी, जिला-सीधी पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
- अ) पारेषण लाईन का मार्ग संरक्षण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो ।
ब) वन क्षेत्रों के ऊपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।
स) वनभूमि पर पारेषण लाईन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 27 मीटर होगी ।
द) प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/दूँट/छटाई की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख-रखाव किया जा सके ।

.....2

ई) अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 4.0 मीटर की न्यूनतम दूरी रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई की जायेगी। न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा।

फ) पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. अग्निसुरक्षा के बिन्दु से विद्युतीय उपकरण जैसे कैपेसिटर्स (capacitors)/ circuit breakers इत्यादि का प्रयोग किया जायेगा।

5. वृक्षों को 2 (दो) मार्किंग सूचा तैयार को जायेगा -

अ) प्रत्येक चालक के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की सूची जिनकी कटाई की जानी है।

ब) अधिकृत मार्ग (Right of Way) के शेष मात्र में आने वाले वृक्षों की सूची। इस सूची में सम्मिलित वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। कटाई केवल चालक के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में स्थित वृक्षों की की जा सकती है।

6. ट्रान्समिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेषकर औषधीय पौधों का) वृक्षारोपण किया जायेगा

7. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों को ध्यान में रखते हुए) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा।

8. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त। अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सीधी, जिला-सीधी, मध्यप्रदेश।
- कार्यपालन यंत्री, (अति उच्च दाब निर्माण) मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
- आदेश पत्रावली

Pradeep Vasudeva
(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

NPV-2825982

CA

Mod -

4047416+2632958+

2886705

315955

+ 78988

+ 5265952

98

Kartik

Mud 24/5

अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्र.)

म.प्र., भोपाल

24/5/12

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

689

25/5/12